अनुसूचित जाति-जनजाति महापंचायत

(स्थान : मानसरोवर ग्राउंड, शिप्रा पथ थाने के सामने, जयपुर, दिनांक :02 अप्रैल 2023)

पत्राचार का पता : 13-14, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

No. MAHAPANCHAYAT/37 दिनांक:- 02.04.2023

आदरणीय नरेंद्र मोदी जी,
माननीय प्रधानमंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली |

ज्ञापन

विषय: राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति महा पंचायत 2 अप्रैल 2023 की मुख्य व अन्य मांगो पर भारत सरकार द्वारा कार्यवाही करने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विभिन्न संगठनों द्वारा वर्ष 2006 से अब तक सरकार को ज्ञापन दिये जाते रहे परन्तु अभी तक हमारी मांगो पर कोई कार्यवाही **नहीं होने के कारण जन आक्रोश व्यापत है परिणाम स्वरुप एससी/एसटी के जन मानस द्वारा विवश होकर** दिनांक 02.04.2023 को जयपुर में विशाल महापंचातय का आयोजन किया गया | भारत सरकार द्वारा सुनवाई नहीं करने के कारण महापंचायत द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किये गये है | हम सभी हमारी निम्मंलिखित मांगो को इस ज्ञापन के द्वारा प्रजातान्त्रिक एवं शांतिपूर्वक आपको अवगत करना चाहते है :-

1. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यको को आरक्षण का प्रावधान किया जाये साथ ही भारतीय न्यायिक सेवाओं (IJS) का अविलम्ब गठन किया जाये |
2. केंद्रीय विश्वविद्यालयो, IIM's, IIT'S, NIT's, AIIMS एवं अन्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में निर्देशकों एवं कुलपति इत्यादि की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यको का आरक्षण प्रभावी रूप से लागू किया जाये |
3. केंद्रीय विश्वविद्यालयो IIM's, IIT'S, NIT's, AIIMS एवं अन्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में प्रोफ़ेसर, असोसिएट प्रोफ़ेसर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एवं अन्य नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यको का आरक्षण प्रभावी रूप से लागू करें तथा इन वर्गों के लिए बैकलॉग पदों पर विशेष भर्ती अभियान के आदेश जारी कर बैकलॉग भरा जाये | भारत सरकार द्वारा पूर्व में 2005 में विशेष भर्ती अभियान के विगत 18 वर्षों में कोई प्रभावी कार्यवाही नही हुई है |
4. सरकार द्वारा आगे से विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेज एवं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए अग्निवीरों में से भर्तियाँ किया जाना प्रस्तावित है, परन्तु अग्निवीरों की नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान नही होने के कारण उपरोक्त संस्थाओं में नियुक्तियों के लिए आरक्षित वर्ग के व्यक्ति उपलब्ध नही होंगे | सरकार आरक्षित वर्ग के बेरोजगारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करें |
5. निजी क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा जारी GST, इनकम टैक्स, लेबर लॉ, EPFO, कानून लागू होते हैं | सरकारों द्वारा जिन गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान/रियायत दी जाती है और जिनके कर्मचारियों की संख्या बीस या बीस से अधिक होने पर उन्हें आरक्षण के प्रावधानों

अनुसूचित जाति-जनजाति महापंचायत

(स्थान : मानसरोवर ग्राउंड, शिप्रा पथ थाने के सामने, जयपुर, दिनांक :02 अप्रैल 2023)

पत्राचार का पता : 13-14, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

को लागू किये जाने के आदेश दिए जाते हैं | इसी प्रकार निजी क्षेत्र नियुक्तियों में आरक्षण सम्बन्धित भारत सरकार के आदेश लागू किये जाये |

6. संघलोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर की जाने वाली भर्तीयों के साक्षात्कारों का विडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य हो |
7. संघलोक सेवा आयोग में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए जारी परिणामों से ज्ञात होता है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में कम अंक दिए जाते हैं | साक्षात्कार के कुल अंकों के साक्षात्कार का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हों तथा साक्षात्कार लेने वाले पेनल के समक्ष साक्षात्कार देने वाले अभ्यार्थीयों की आरक्षित वर्ग की पहचान उजागर नही की जाये|
8. केंद्र सरकार के द्वारा जारी लेटरल एंट्री (भर्तियाँ) में आरक्षण सुनिश्चित किया जाये |
9. केंद्र सरकार के मंत्रालयों में सचिवों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यको का उचित प्रतिनिधित्व दिया जाये |
10. लोकसभा में सांसदों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, का आरक्षण का प्रावधान है | समानांतरण रूप से राज्यसभा में भी सांसदों की कुल संख्या में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आबादी के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाये |
11. वर्तमान में केंद्र सरकार की सेवाओं में, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत 15 प्रतिशत व 7.5 प्रतिशत भारत सरकार में आरक्षण दिया जा रहा है जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एससी/एसटी का 16.6 एवं 8.6 प्रतिशत है | जिस प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार आरक्षण का प्रतिशत 16.6 एवं 8.6 प्रतिशत बढाया जाये |
12. सांसद विधायक निधि कोष में अनुसूचित जाति, जन जाति वर्ग के लिए भी खर्चा उनकी जनसँख्या के अनुपात के अनुरूप में अनिवार्य करने के सम्बन्ध में परिपत्र जारी किया जाये|

अतः उपरोक्त अनुसूचित जाति-जनजाति महापंचायत द्वारा मांग बिन्दुओं का अनुमोदित करते हुए हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि भारत सरकार इन पर त्वरित कार्यवाही कर हमें अनुग्रहित करेंगे |

सादर |

2.4.23

डॉ. जी.एस. सोमावत
अतिरिक्त संयोजक
अनुसूचित जाति-जनजाति महापंचायत

बी.एल.आर्य, IAS (R.)
संयोजक
अनुसूचित जाति-जनजाति महापंचायत